

		<p>केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)/ Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) 18 संस्थागत क्षेत्र/18 Institutional Area. शहीद जीत सिंह मार्ग/Shahed Jeet Singh Marg, नई दिल्ली – 110016/New Delhi -110016 दूरभाष/Telephone No.: 011-26858570 Email- budget.section@kvs.gov.in</p>
---	---	--

फ.स.110239/51/2022/बजट/केवीएस(मुख्या.)

दिनांक: 06.01.2023

भारत सरकार द्वारा जारी निम्न वर्णित कार्यालय ज्ञापन, सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर अपलोड किये जा रहे हैं।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का संकल्प संख्या 5(4)-B(PD)/2021, दिनांक 03.01.2023 जीपीएफ, सीपीएफ, आदि के लिए ब्याज दर 01-01-2023 से 31-03-2023 तक 7.1% प्रभावी / Interest rate @ 7.1%. for GPF, CPF, etc. with effect from 01-01-2023 to 31-03-2023.


(अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)
सहायक आयुक्त (वित्त)

वितरण :

1. उपायुक्त, के. वी. एस., सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय ।
2. वित्त अधिकारी, के.वी.एस., सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय ।
3. सभी अधिकारी/अनुभाग, के. वी. एस. (मु.) ।
4. प्राचार्य, के. वी. काठमांडू, मास्को एवं तेहरान ।
5. महासचिव, सभी मान्य संघ ।
6. निदेशक, जीट ग्वालियर, मुंबई, मैसूर, चंडीगढ़ एवं भूबनेश्वर।
7. उपायुक्त, ई डी पी, के वी एस (मु.) को के वी एस (मु.) की वेबसाइट के शीर्ष "सूचना पट (Announcements)" के अंतर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
8. आर टी आई, के वी एस (मु.)।
- 9.गार्ड फ़ाइल।

(भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशनाधी)
फा.संख्या 5(4)-बी(पी.डी.)/2021
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक मामलों विभाग
(बजट प्रभाग)

(TO BE PUBLISHED IN PART 1 SECTION 1 OF GAZETTE OF INDIA)
F.No. 5(4)-B(PD)/2021
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Budget Division)

नई दिल्ली, दिनांक 03 जनवरी, 2023

New Delhi, the 03 January, 2023

संकल्प

आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2022-2023 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिवातकों की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली व्याज दर 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक 7.1% (सात दशमत्य एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:

1. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
2. अखिल भारतीय भविष्य निधि (भारत)।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुध आपूर्ति कर्मगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसैन्य कर्मगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र सेना कर्मिक भविष्य निधि।

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आशीष वच्छानी
(आशीष वच्छानी)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक, (तकनीकी शाखा)
भारत सरकार मुद्रणमालय,
मिंटो रोड, दिल्ली।

फा.संख्या 5(4)-बी(पी.डी.)/2021

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रमाणपत्र कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और प्रति खाद्यों को प्रति भिजना।

निम्नलिखित को भी प्रति भिजित:

1. भारत के नियंत्रक और महासूचनाधिक और उनके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालय।
2. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।
3. महासूचना नियंत्रक (10 प्रतियां)।
4. कार्मिक, लोक शिक्षा और मनोरंजन मंत्रालय (पेंशन यूनिट/अखिल भारत सेवा प्रभाग)।
5. मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सहायक (6 प्रतियां)।
6. मंत्रालयों/विभागों के मुख्य नियंत्रक/लेखा नियंत्रक।
7. रक्षा सेवा महासूचना।
8. सभी राज्य सरकारों और सभी राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिव।
9. सभी राज्यों/राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अर्थ/उप-सचिव।
10. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त सचिव।
11. सभी राज्य सरकारों के वित्त सचिव।
12. राष्ट्रीय वेबपोर्टल।

8 फरवरी 2023
(संकल्प नं. टी.)
उप-निदेशक

RESOLUTION

It is announced for general information that during the year 2022-2023, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) w.e.f. 1st January, 2023 to 31st March, 2023. This rate will be in force w.e.f. 1st January, 2023. The funds concerned are:

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

Ashish Vachhani
(Ashish Vachhani)
Additional Secretary to the Govt. of India

To,

The Manager, (Technical Branch)
Government of India Press, Minto Road, Delhi.

F.No.5(4)-B(PD)/2021

Copy forwarded to all Ministries/Departments of Government of India, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Union Public Service Commission, Supreme Court, Election Commission and NITI Aayog.

Copy also forwarded to :-

1. Comptroller & Auditor General of India and all offices under his control.
2. Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority.
3. Controller General of Accounts (10 copies).
4. Ministry of Personnel Public Grievances and Pension (Pension Unit/All India Services Division).
5. Financial Adviser of Ministries/Departments (6 copies).
6. Chief Controller of Accounts/Controller of Accounts of Ministries/Departments.
7. Controller General of Defence Accounts.
8. Finance Secretary of all State Governments and Union Territories.
9. Secretary to Governors/Lt. Governors of all States/Union Territories.
10. Secretary Staff Side, National Council of JCM.
11. All Members, Staff Side National Council of JCM.
12. NIC - For uploading on website.

Gajud R O
(Gajud R O)
Deputy Director